केनरा बैंक Canara Bank

शाखा: खुर्जा
ई-मेल: cb18650@canarabank.com

विषय: वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत विज्ञापन के अस्वीकार का प्रकाशन करने के लिए नोटिस।

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने केनरा बैंक, सूचना संख्या (18650) दिनांक आगे "सुरक्षित लेनदार" कहा जाएगा) के साथ में अधिनियम के तहत विनिबन्ध होने के साथ, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नोटिस जारीकर्ता विलेखों के विषय 6(a) के तहत, आगे जारी की विज्ञप्तियाँ या नोटिस जारी करते हैं, जैसा कि आगे संलग्नों अनुसूची पर मुद्रित लेनदार के अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत 21.11.2025 को कर्मी नोटस मुद्रण पुत्र मुकेश पति, निवासी पुनवारा, जहांगीराबाद, मुरादाबाद, उ.प्र. 242394, जनसाधारणों: सारणी पर्सी पेंडसाल, निवासी होकर रोड, पश्चिम विहार, मुर्रा, मुरादाबाद 242 201(1), गवाहकर्ता और मार्गदर्शी (प्रमुख नाम) को निर्देश नोटिस जारी किया था, जिसमें उक्त नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर 26-25.02.22.21 (के. पर्सोनल नाम सीत हस्ता नोटिस और सारणीय पेजों की प्रति और उस पर प्रतिभूति ब्याज का मुद्रांकन करने की मांग की गई थी।

पुनः, उपरोक्त्त-पर्सी, गवाहकर्ता और मार्गदर्शी (उपरोक्त नाम) उपरोक्त मांग नोटिस में प्रतिभूति रोक का मुद्रांकन करने में विफल रहे हैं, इसलिए अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रतिभूत आस्तियों के दिनांक 14.02.2026 को कब्जे के नोटिस में परिणत सुरक्षित परिसंपत्तियों का प्रतिकब्जा नोटिस जारी किया है जिसमें आगे प्रकाशन, उक्त प्रतिकब्जा-नोटिस कब्जे का नोटिस 17.02.2026 को समाचार और फाइनेंशियल एक्सप्रेस में विधिवत प्रकाशित किया गया था। सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों को सरफेसी नियमों के विषय 6(a) के तहत पालन करने के लिए, अब उक्त्त को इस नोटिस की प्रति के 30 दिनों के भीतर सुरक्षित लेनदार के कब्जे के सुरक्षित परिसंपत्तियों को सुपुर्द और पूरा प्रकाश करने का अधिकार और अधिकार दिया जाता है, जिसमें 14.02.2026 तक रु.- 23,50,022.27 (के. पर्सोनल नाम सीत हस्ता कहित और सारणीय पेजों) के दायित्व का निर्धारण करना होगा, साथ ही साथ में ब्याज, लागत और व्यय का पूरा भुगतान करना होगा, ऐसा न करने पर अधिनियम के तहत किसी नोटिस अवधारा पर में प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें सुरक्षित परिसंपत्तियों को बेचने के लिए नोटिस जिसमेंसिमित तारीखों में से एक को विशिष्ट किया जाएगा: (i) लागत, सुरक्षित संपत्तियों का विज्ञापन करने वाले या संपत्तियों को बाहरने में अपनाया गया रास्ते करने वाले व्यक्तियों के कोटेशन प्राप्त करने; या, (ii) लागत से विज्ञापनों अनुमोदन करने; या, (iii) ई-नीलामी बिक्रि के माध्यम सहित सार्वजनिक नीलामी आयोजित करने; या, (iv) किसी अन्य द्वारा।

अधिनियम की धारा 13(8) के अनुसार, जब तक्कार पर्सी किसी प्रकार से प्रकाशन की तिथि से पांचवे दिनों की समय सुरक्षित लेनदारों को बुकाने के हकदार हैं, सिवाय इसके कि नोटिस उसके पर अधिनियम की धारा 13(8) के अनुसार कानूनन संपत्ति को बेचकुका करने का अपना अधिकार उपलब्ध न हो।

यह सूचना विज्ञप्त अधिनियम/अन्य लागत किसी अन्य विधिक व्यवहार के अंतर्गत प्रतिकूल कार्यवाही के पाठ तत्काल किसी अन्य अधिकार के पूर्वाग्रह के बिना है।

दिनांकित नोटिस दिनांक: 21.02.2026 — **प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक**

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! — कब्जा सूचना

अचल संपत्ति जम्मा शाखा सर्किल ऑफिस जम्मू: 1-2, सुकृत्य रथ, बाहरा पोर्ट मार्ग, जम्मा शेष-तवा- 0262-2525895, ईमेल-cs8112@pnb.co.in

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (1) के अन्तर्गत)

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के तहत सहपठित धारा-13 (12) के अन्तर्गत प्राधिकृत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने निम्नलिखित कर्जदार/ऋणियों / सहकर्ता / बंधककर्ता / जमानती धारियों को नोटिस में वर्णित राशि नोटिस प्राप्ति के 60 (साठ) दिनों के अन्दर अदा करने हेतु कहा गया था। उक्त कर्जदार/ऋणी/सहकर्ता/बंधककर्ता/जमानती धारियों के द्वारा इस राशि की अदायगी में विफल रहने पर एतद्द्वारा आम जनता को एवं ऋणियों/सहकर्ता/बंधककर्ता/जमानती धारियों को विशेष रूप से सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित सम्पत्ति का प्रतीकात्मक अधिग्रहण की धारा-13 (4) एवं नियम के उपनियम-8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा आज/आज उनके सम्पूर्ण अधिग्रह लिया जा कर लिया गया है। उपरोक्तकर्जदार का ध्यान सुरक्षित परिसम्पत्तियों को मुक्त कराने के उपलब्ध समय के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है। एतद्द्वारा ऋणियों/सहकर्ता/बंधककर्ता/जमानती धारियों को निर्देशित और जनसाधारण को सामान्यतः सूचित किया जाता है कि पूर्वोक्त नियम संपत्ति का सौदेकीय कब्जा/नैतिक कब्जा अधिग्रहण कर लिया गया है, अतः इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई भी सौदा/व्यवहार केवल बैंक के अधिकार अन्य किसी से न करे एवं ऐसा कोई भी सौदा/व्यवहार पंजाब नेशनल बैंक को देय राशि के अन्तर्भाविक भार हेतु जैसा कि नीचे खाते के समक्ष प्रतिकूल किया गया है, के अध्यधीन होगा।

ऋणियों/सहकर्ता/बंधककर्ता/जमानती धारियों का ध्यान सुरक्षित परिसम्पत्तियों को मुक्त कराने के समय उपलब्ध अन्य उपायों की ओर आकर्षित किया जाता है, कि वे उपलब्ध समय में बैंक के देयों को भुगतान कर बंधक सम्पत्ति को मुक्त करा लें।

ऋणियों/सहकर्ता/बंधककर्ता का नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि	कब्जा लेने की तिथि	बीच सूचना के अनुसार बकाया धनराशि
ऋणी:- श्री मोहनिश पुत्रेश पुत्र श्री उमर कलकल और श्रीमती इशोधा रेनम धानी श्री उमर कलकल (सह-ऋणी) श्री उमर कलकल पुत्र श्री पुंडु (खरगर एवं बंधककर्ता)	साम्पिक बंधक सम्पत्ति के सभी खण्ड एवं भाग के स्वामी श्री उमर कलकल पुत्र श्री पुंडु निवास फ्लैट नम्बर-तीएम-49, शास्त्रि निवेशन, एशीए कॉलोनी, बेर बाई पास रोड, अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) क्षेत्रफल- 144.69 वर्गमीटर चौहद्दी विक्रय विलेख के अनुसार:-पूर्व-फ्लैट नम्बर-तीएम-25 पश्चिम-शेष, उत्तर-फ्लैट नम्बर-डीएम-50, दक्षिण-फ्लैट नम्बर-डीएम-48.	01.05.2024	18.02.2026	रु. 40,72,697.68/- (चालीस लाख बहत्तर हजार छः सौ सत्तानवे रुपये और अड़सठ पैसे मात्र) दिनांक 30.04.2024 तक + ब्याज व अन्य सभी लागत
ऋणी एवं बंधककर्ता:- श्री विनय वर्मा पुत्र श्री सुभाष चन्द्र वर्मा (सह-ऋणी) श्री अनिल कुमार वर्मा पुत्र श्री सुभाष चन्द्र वर्मा (सह-ऋणी) एवं बंधककर्ता) श्री सुभाष चन्द्र वर्मा पुत्र श्री रामवीर सिंह (सह-ऋणी)	साम्पिक बंधक आवासीय सम्पत्ति के सभी खण्ड एवं भाग के स्वामी श्री विनय वर्मा और श्री अनिल कुमार वर्मा दोनों पुत्र श्री सुभाष चन्द्र वर्मा स्थित नवाब नगरी मकान नम्बर 23, खसरा नम्बर 1769, 1793,1794, 1795/1, 1797/2, 1802, 1806, 1807 & 1808, का मौजा कासेरी खाटिका के पास नगला रिधलोन, कस्बा कोल जिला अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) क्षेत्रफल- 138.67 वर्गमीटर चौहद्दी विक्रय विलेख के अनुसार:-पूर्व-सीढ़ 9 मीटर चौड़ा, पश्चिम-अन्य की सम्पत्ति, उत्तर-मकान नम्बर 21 और 22, दक्षिण-मकान नम्बर-24.	08.01.2025	19.02.2026	रु. 70,26,030.00/- (सत्तर लाख छब्बीस हजार तीस रुपये मात्र) दिनांक 31.12.2024 तक + दिनांक 01.01.2025 से मासिक के भाव व अन्य सभी लागत व सभी देयों सहित कटौती नई राशि को घटाकर

स्थान- जलौन — प्राधिकृत अधिकारी

फार्म नं. आईएनसी-26
(कम्पनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार में)
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से अन्य राज्य में बदलने के लिए जनसाधारण में जानकारी प्रकाशित किया जाना
केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
आवेदन के मामले में
के-2 हिन्द, दूसरी मंजिल, ए. पैन्थमाइन कॉम्प्लेक्स नगर, पीतमपुरा नॉर्थवेस्ट, नई दिल्ली-110033, भारतीय अधिनियम 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कम्पनी (निगम) नियम 2014 के नियम 30 के उप नियम (5) के खंड (ए) के मामले में
.....आवेदक
और
पंजाबीबेरी डीलेर प्राइवेट लिमिटेड, दीनदयाल ए. - 1209900KL2006PTC150743 निगम पंजीकृत कार्यालय की 257 गु. अलोक नगर दिल्ली केन्द्र दिल्ली पिन 110006 के मामले में
.....प्रतिवादी

एतद्द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने अपने कार्यालय को एक राज्य से अन्य राज्य में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को पारित किया है जो कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम और एसोसिएशन के परिवर्तन करने के उद्देश्य से की गई पुष्टि के लिए विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है। यह प्रस्ताव 12.02.2026 को आयोजित किया गया था। जो किसी व्यक्ति का हित कंपनी में इस परिवर्तन से प्रभावित होने का है वह अपने हितों का स्पष्टीकरण देने के लिए केन्द्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, वह निहित उद्देश्य आवेदन आम केन्द्र के सामने की पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाना चाहिए जिसमें उसके पिता/पति का नाम, पता, व्यवसाय और उसके हित की प्रकृति का विवरण और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय की **"उत्तरी क्षेत्रीय क्षेत्र दिल्ली" के "पता प्रति उत्तर"** में भेजनी है। उक्त आवेदन की एक प्रति उसके पिता/पति के पंजीकृत कार्यालय को **"उत्तरी क्षेत्रीय क्षेत्र दिल्ली के हित में** भेजनी है।

दिनांक: 23.02.2026, स्थान: दिल्ली

ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण– दिल्ली
अपार्टमेंट नंबर 318 तीसरी मंजिल, होटल साहार, कॉलिज मार्ग, वाणवपुरी, नई दिल्ली–110021

वैसर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. अपीलकर्ता/आ. — अपील सं. 32/2025
बनाम — टी. ए. सं. 557/2023 में
एसेट रिकंस्ट्रक्शन क. (इ) लि. एवं अन्य प्रतिवादी/वां (DRT-II, Delhi)

सूचना

1. वैसर एसएन सर्कीटेक (एक पार्टनरशिप फर्म) कार्यालय: एफ-21, कारकाडागी नई दिल्ली–110019	प्रतिवादी संख्या 2

जबकि यह नोटिस दिया जाता है कि उपरोक्त मामले में D.R.T. के पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विवरण अपील अपीलकर्ता द्वारा 30.01.2025 को प्रस्तुत की गई है और ट्रिब्यूनल के पंजीकृत है। यह मामला 13.02.2026 को इस ट्रिब्यूनल के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।

जबकि यह नोटिस दिया जाता है कि संलग्नपत्रक रूप में निर्धारित नमूने में मामलात्मक तरीके से नोटिस देना संभव नहीं है, इसलिए, यह नोटिस विज्ञापन द्वारा दिया जाता है जिसमें आपको 17.03.2026 को इस ट्रिब्यूनल में उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

जबकि ध्यान में कि ऊपर बताए गए दिन आपकी अनुपस्थिति में, मामले की सुनवाई और फैसला आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

ऐसे हस्ताक्षर और ट्रिब्यूनल की मुहर के साथ, यह **18 फरवरी, 2026** को दिया गया।

(1) — न्यायाधिकरण के आदेश से, अनुभाग अधिकारी

केन फिन होम्स लिमिटेड
CIN : L85110KA1987PLC008699,
केनरा बैंक बिल्डिंग के ऊपर, अमन रोड, फोर्ट नं. सी-9, सेक्टर-1, नोएडा, उत्तर प्रदेश, पिन कोड - 201301
ई-मेल : noida@canfinhomes.com,
फोन नं.: 0120 - 2970164/65/67, 7625079126

सम्पत्ति सूचना [(नियम 8(1)) (अचल सम्पत्ति हेतु)

अधोहस्ताक्षरी ने केन फिन होम्स लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन और उक्त अधिनियम तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक **मांग सूचना दिनांकित 10–12–2025** जारी की थी जिसमें कर्जदारों **श्री मोहित गजेन्द्र सिंह, पुत्र गजेन्द्र कुमार सिंह/ एवं श्री गजेन्द्र कुमार सिंह/ पुत्र श्री जितेन्द्र आर्य और गारंटर श्री सितेश कुमार पुत्र श्री लाल मोहर सिंह/** से सूचना में वर्णित बकाया राशि **रु. 80,23,963/– (रुपये पचास लाख तेईस हजार नौ सौ तिरसठ मात्र)** तथा समुक्ति की तिथि तक आगे संविदात्मक दर पर ब्याज का भुगतान उक्त सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं।

एतद्द्वारा कर्जदार और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा दिनांक **21.02.2026** को ले लिया है।

कर्जदार को ध्यान, उपलब्ध्ध समुक्ति आस्तियों को चुकाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

कर्जदार को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार सीएनएफएल की बकाया राशि **रु. 80,23,963/– (रुपये पचास लाख तेईस हजार नौ सौ तिरसठ मात्र) भार्ग्य सहित।**

अचल सम्पत्ति का विवरण

फ्लैट संख्या 314 (छत के अधिकार के बिना), तीसरी मंजिल, ब्लॉक हीरा–111, क्षेत्रफल 1350 वर्ग फुट, खसरा संख्या 341, 342, 343, 344 और 345, आगरा एन्क्लेव कॉलोनी, फ्लैट संख्या ए–32, सरवाकाल, नोएडा, दादरी, जी.बी. नगर, उत्तर प्रदेश। **चौहद्दी:** पूर्वी: फ्लैट संख्या 313, **पश्चिम:** फ्लैट संख्या 301, **उत्तर:** साझा मार्ग, **दक्षिण:** 18 फुट चौड़ी सड़क।

दिनांक : 23.02.2026 — हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : **नोएडा** — केन फिन होम्स लिमिटेड

बैंक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda

एसएसआई नोएडा सेक्टर 18 शाखा,
एफ 27–28 सेक्टर 18 नोएडा कल्याण ज्वैलर्स के पास 201301
फोन: 0120–2511001, 2511002 ई–मेल: SSIGAZ @bankofbaroda.bank.in

लॉकर धारकों को नोटिस–बैंक ऑफ बड़ौदा लॉकर के किराए का भुगतान करने में चूककर्ता

यह हमारे मूल्यवान संसाधनों की जानकारी के लिए है, जिन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा, **एसएसआई नोएडा सेक्टर 18 शाखा** में लॉकर किराए पर लिए हैं और अनुबंध का उल्लंघन किया है। आरबीआई / बैंकों के लिए–निरीक्षी के अनुसार लॉकर धारकों को उनके दावे पाने पर भेजे गए नोटिस बिना जिलीकर लिए या जवाब दिए वापस आ गए हैं। लॉकर धारकों से उनके दावे पाने पर व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के प्रयास भी सफल नहीं और उनका वर्तमान ठिकाना पता नहीं चल सका। इस कारण, कोई किराया न होने के कारण, यह नोटिस नीचे दिए गए सभी व्यक्तियों को दिया जा रहा है कि वे इस नोटिस के प्रकाशन से 90 दिनों की अवधि के भीतर बैंक ऑफ बड़ौदा, **एसएसआई नोएडा सेक्टर 18 शाखा** से संपर्क करके बैंक का बकाया चुकाएं, ऐसा न करने पर बैंक अपनी लागत, जोखिम और जिम्मेदारी पर लॉकर को तोड़ देगा और बैंक इस कार्य के लिए बकाया किराया, लागत और अन्य शुल्कों की वसूली के लिए वसूली पर अपने प्रावधानिक के अधिकार का प्रयोग करेगा।

क्र. सं.	पुराना लॉकर सं.	नया लॉकर सं.	ग्राहक का नाम	ग्राहक का पता	देय तिथि	अंतिम नोटिस भेजा गया	बकाया राशि 25.04.2025 तक (भारतीय रुपये में)	खोलने की तारीख
1	एन 72	2562AX0072	रामकृष्ण कन्सा	666 शक्ति खंड तृतीय द्वितीय तल इंदिरापुरम गाजियाबाद	12-10-2021	17-04-2025	17405/-	19-05-2026

कृपया ध्यान दें कि यदि लॉकर को लौटा लाता है और लॉकर सामग्री के प्रावधानों के अनुसार उसकी सामग्री का निपटान किया जाता है, तो बैंक अपने दायित्वों से मुक्त हो जाएगा और ग्राहक द्वारा उठाए गए किसी भी लागत, हानि या दायित्व (लॉकर की सामग्री की किसी भी क्षति और/या हानि सहित) के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

शाखा प्रबंधक

Bank of India — Relationship beyond banking

आंचलिक कार्यालय दिल्ली एनसीआर अंचल, बड़ा हाउस, ग्राउंड फ्लोर, प्लॉट नं.–52 ,सेक्टर –32, गुरुग्राम –122003,
इंस्टाग्राम पृष्ठाधार मोब: 0124.2388406/412
ईमेल: ZO.DelhiNCR@bankofindia.co.in

स्वर्ण आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी हेतु सूचना

एतद्द्वारा निम्नलिखित स्वर्ण ऋण उधारकर्ताओं, उनके कानूनी उत्तराधिकारियों, स्वर्ण स्वर्ण/आभूषणों/गिरवी के व्यवसाय में लगे व्यक्तियों और आम जनता को सूचित किया जाता है कि बैंक द्वारा बार–बार अनुस्मारक/नोटिस के बावजूद, निम्नलिखित उधारकर्ता बैंक को अपना बकाया नहीं चुका रहे हैं।

एतद्द्वारा यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि यदि वे **15-03-2026** तक अपने संबंधित गोल्ड लोन खातों (ऋण–ए–टेन्ट ब्रांच) और सभी लागत शुल्क / व्यय राशियों में अपनी सभी देय राशि जमा करके में विफल रहते हैं, तो **16-03-2026** को दोपहर 12:00 बजे से उनके बंधक रखे गए स्वर्ण आभूषण / आभूषणों **वेबसाइट:https://IEGOLD.AUCTIONTIGER.NET** पर सार्वजनिक नीलामी के लिए रखे जाएंगे। इसके लिए, संबंधित उधारकर्ताओं को दुई किसी भी अनुचित या क्षति के लिए बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा और इस संबंध में किसी भी उधारकर्ता के किसी भी आरोप या अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

बोली में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को नीचे दिए गए ई-नीलामी विवरण के अनुसार फ्लोर प्राइस का 10% ईएमडी राशि (बयाना राशि जमा राशि-पूर्वनिधि) बयाना राशि के रूप में **15-03-2026** तक या उससे पहले जमा करनी होगी।

प्रतिभू बोली में भाग लेने वाले व्यक्तियों को 48 घंटे के भीतर पूरी राशि देय है। जिन बैंक में जमा करने में सक्षम होना चाहिए, ऐसा नहीं करने पर बैंक को जमा उनकी बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी। बैंक किसी कोई कारण बताए नीलामी को रद करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि बोली मूल्य कम या अपर्याप्त पाया जाता है। इसके अलावा, यदि आवश्यक हो, तो बैंक उपरोक्त निर्धारित नीलामी की तिथि, समय या स्थान को बदलने या बिना कोई कारण बताए उसे रद करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

पुडुचांय शाखा – बैंक ऑफ इंडिया, ओल्ड रेलवे गेट, सिव मूर्ति के पास, पुडुचांय 122001
ईएमडी विवरण: खाता संख्या **670190200000033**, आईएफएससी कोड: **BKID0006701**

क्र.सं.	खाता	कर्जदार का नाम	पता	घोषित का बकाया राशि (राम में)
1.	670125210000014	श्री. इंबाकन खान	पु–62/4, रोड न.–2, महिलापुरम् एक्टेंशन, नई दिल्ली	19,270

निकारी शाखा– बैंक ऑफ इंडिया, पंटा घर के पास, निकारी, हिरियाना
ईएमडी विवरण: खाता संख्या **677090200000033**, आईएफएससी कोड: **BKID0006770**

क्र.सं.	खाता	कर्जदार का नाम	पता	घोषित का बकाया राशि (राम में)
1.	677028110000030	पुष्पा पुत्र पत्नी परिश पुत्रार	गौर गनवेश, निकारी	74,300

शाखा प्रबंधक

Bank of India — Relationship beyond banking

बैंक ऑफ इंडिया, दिल्ली अस्ति वसूली शाखा, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र
एम–125, ब्लॉक एम, विकासपुरी, नई दिल्ली–110018

ई–नीलामी बिक्री सूचना
सम्पत्तियों की ई–नीलामी – 27.03.2026

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय सूचना।

आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटरों को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियों जो प्रतिभूत लेनदार के पास कंजर / प्रभारित है, का कब्जा, बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूत लेनदार), के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है जैसा है" "जिस किसी स्थान के हैं" और "जो है वहां है" के आधार पर दिनांक 27.03.2026 को पूर्वा.11.00 बजे से अपरा. 05.00 बजे तक ई–विक्रय पोर्टल https://baanknet.com पर प्रस्तुत की गई ई–बोली के माध्यम से नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति/सम्पत्तियों का सार्वजनिक नीलामी/ई–नीलामी द्वारा बेची जाने वाली संपत्तियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है प्रस्तुत की जाने वाली बोली (प्रतिभूत ऋण) और कब्जे का विवरण भी नीचे दी गई तारीखों में प्रतिबंधित है।

क्र. सं.	कर्जदार(ओं)/गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) का नाम	सम्पत्ति का विवरण	कुल देय	a) आरक्षित मूल्य b) ईएमडी c) बोली वृद्धि राशि	प्राधिकृत अधिकारी का नाम और मो. नं.
1.	उधारकर्ता: श्री राजवीर सह–ऋणधारकर्ता श्रीमती रजनी सिंह शाखा ग्रेटर विकास	संपूर्ण निर्मित फ्लैट संख्या ए–40, प्रथम तल, मापित एरिया–1, आकार कुंज के नाम से जाना जाता है, सेक्टर–62, नोएडा, यूपी–201301 (क्षेत्रफल 28.19 वर्ग मीटर, मापित श्रीमती रजनी सिंह) (सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा बैंक के पास है)	रु. 9.24 लाख + आरक्षित ब्याज + अन्य प्रभार	a) Rs. 10,35,000/- b) Rs. 1,03,500/- c) Rs. 10,000/-	श्री अनिल झा मोबाइल: 8282711160

नियम और शर्तें

1) नीलामी बिक्री/बोली केवल "ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रक्रिया" https://baanknet.com. वेबसाइट के माध्यम से होगी।
2) इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल https://baanknet.com पर पंजीकरण करना चाहिए और बोलीदी प्रस्तावक अपलोड करना चाहिए और सेवा प्रदाता द्वारा बोलीदी प्रस्तावकों के सत्यापन के बाद, ईएमडी को एनईएफटी / आरटीजीएस / ट्रांसफर / चालान फॉर्म जनरेट करने के माध्यम से बैंकरेट ईएमडी वॉलेट में जमा करना होगा (https://baanknet.com)
3) नीलामी की तिथि और समय: 10.03.2026 सुबह 11:00 बजे से सायं 05.00 बजे तक अनिश्चित 10 मिनट अनंत कॉल–एक्सटेंशन के साथ।
4) ई–नीलामी बिक्री के लिए अचल सम्पत्ति/सम्पत्तियों का विवरण, आरक्षित मूल्य या मूल्य इच्छित बोली वृद्धि राशि, ईएमडी राशि और बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख और समय: 27.03.2026 सुबह 11.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक अनिश्चित 10 मिनट अनंत कॉल–एक्सटेंशन के साथ।
5) इच्छुक बोलीदाताओं को ई–नीलामी के लिए ई–निविदा में भाग लेने हेतु आवश्यक दस्तावेजों / विवरणों को ईएमडी BAANKNET के साथ जो कि आरक्षित मूल्य का 10% है, 27.03.2026 तक ई–बिक्री पोर्टल https://baanknet.com पर जमा करना होगा।
6) उपकरण / सफल बोलीदाता को बिक्री के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली की स्वीकृति के बाद पहले से भुगतान की गयी ईएमडी राशि को कि आरक्षित मूल्य का 10% है, को निलाकर बोली/वहीद राशि का 25% बिक्री की पूर्ति के अपने कार्यालय एम (बैंक अंचल की ओर) जमा करनी होगी। निर्धारित अवधि के भीतर इस शेष राशि को जमा करने में असफल रहने पर जमा की गयी राशि को जब्त कर लिया जाएगा और प्राधिकृत अधिकारी / बैंक के पास नीलामी रद करने और नई नीलामी आयोजित करने का पूर्ण अधिकार होगा।
7) सफल बिक्री राशि प्राप्त होने के बाद, प्राधिकृत अधिकारी बिक्री प्रमाणपत्र जारी करेगा और उसके बाद बिक्री को पूर्ण माना जाएगा और इस संबंध में बैंक किसी भी दावे पर विचार नहीं लेगा।
8) बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया लिंक देखें – https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3 देखें
10) यह प्रकाशन उपरोक्त उधारकर्ता/गारंटरों/बंधककर्ताओं को 15 दिन पहले की सूचना भी है।
13) इस सूचना के अंग्रेजी संस्करण और किसी अन्य स्थानीय भाषा संस्करण के बीच विसंगति होने की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

दिनांक : 23.02.2026, स्थान : नई दिल्ली — **प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया**

Bank of India — Relationship beyond banking

ई–नीलामी बिक्री सूचना
सम्पत्तियों की ई–नीलामी : 10.03.2026
बैंक ऑफ इंडिया, आंचलिक कार्यालय, नई दिल्ली बैंक, "स्टार हाकर" एच–2, फ्लॉट शर्वाल, मिडल/आउटर सर्कल, पीतमपुरा चलाइ होल के पास, नई दिल्ली–110001, फोन नं. 011–28844099/8378805835

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत
अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय सूचना

आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदारों(ओं) एवं गारन्टरों(ओं) को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियों जो प्रतिभूत लेनदार के पास कंजर / प्रभारित है, का कब्जा, बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूत लेनदार), के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जैसा है वैसा है" "जैसा है वहाँ है" "जिस किसी स्थान में हैं" "जो है वहाँ है"** के आधार पर दिनांक **10.03.2026** को पूर्वा. 11.00 बजे से अपरा. 05.00 बजे तक ई–विक्रय पोर्टल **https://baanknet.com** के माध्यम से की गयी बोली के माध्यम से नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति/सम्पत्तियों का सार्वजनिक नीलामी/ई–नीलामी द्वारा बेची जाने वाली संपत्तियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है प्रस्तुत की जाने वाली बोली (प्रतिभूत ऋण) और कब्जे का विवरण भी नीचे दी गई तारीखों में प्रतिबंधित है।

क्र. सं.	कर्जदार(ओं)/गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) का नाम	सम्पत्ति का विवरण	कुल देय	a) आरक्षित मूल्य b) ईएमडी c) बोली वृद्धि राशि	प्राधिकृत अधिकारी का नाम और मो. नं.
1.	उधारकर्ता श्री राजवीर सह–ऋणधारकर्ता श्रीमती रजनी सिंह शाखा ग्रेटर विकास	संपूर्ण निर्मित फ्लैट संख्या ए–40, प्रथम तल, मापित एरिया–1, आकार कुंज के नाम से जाना जाता है, सेक्टर–62, नोएडा, यूपी–201301 (क्षेत्रफल 28.19 वर्ग मीटर, मापित श्रीमती रजनी सिंह) (सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा बैंक के पास है)	रु. 9.24 लाख + आरक्षित ब्याज + अन्य प्रभार	a) Rs. 10,35,000/- b) Rs. 1,03,500/- c) Rs. 10,000/-	श्री अनिल झा मोबाइल: 8282711160

नियम और शर्तें

1) नीलामी बिक्री/बोली केवल https://baanknet.com वेबसाइट के माध्यम से "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली" प्रक्रिया के माध्यम से होगी।
2) इच्छुक बोलीदाताओं को https://baanknet.com पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और बोलीदी प्रस्तावक अपलोड करने होंगे और सेवा प्रदाता द्वारा बोलीदी प्रस्तावकों के सत्यापन के बाद, ईएमडी को एनईएफटी/आरटीजीएस/ट्रांसफर/चालान फॉर्म जनरेट करने के माध्यम से बैंकरेट ईएमडी वॉलेट में जमा करना होगा (https://baanknet.com)
3) नीलामी की तिथि और समय: 10.03.2026 सुबह 11:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक, प्रत्येक 05 मिनट के अनिश्चित ऑटो–एक्सटेंशन के साथ।
4) संपत्ति का निरीक्षण 07.03.2026 को सुबह 11:00 बजे से सायं 4:00 बजे के बीच संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से पूर्व नियुक्ति लेकर किया जा सकता है।
5) ई–नीलामी आयोजित प्रमाण और जरूर परिसंपत्तियों अचल इच्छितित मूल्य पर कुल होगी। बोलीदाताओं को सभी संपत्तियों के लिए उपरोक्त सांकेतिक में परिलक्षित मूल्यों में एक साथ अपने प्रस्तावों में सुधार करना होगा।
6) इच्छुक बोलीदाताओं को ई–नीलामी में भुगतान मानीयारी के लिए 10.03.2026 को शाम 04.30